



Phone & Fax: 0581-2585299

उ० प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
क्षेत्रीय कार्यालय: 1219/1, ई-ब्लॉक राजेन्द्र नगर, बरेली-243 122

U. P. POLLUTION CONTROL BOARD
Regional Office: 1219/1, E-Block, Rajendra Nagar, Bareilly-243 122

सन्दर्भ संख्या: 108/एनओसी- 4669/16

दिनांक 28-04-16

सेवा में,

मै० इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का रिटेल आउटलेट
द्वारा श्रीमती मीरा जायसवाल पत्नी श्री नवीन जायसवाल (पार्टनर), ग्राम-बिसण्डा, तहसील-बीसलपुर
जनपद-पीलीभीत।

विषय: पर्यावरणीय प्रदूषण नियन्त्रण की दृष्टि से नये रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गमन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने आवेदन पत्र दिनांक 24.01.16 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। आपके आवेदन पर विचार किया गया तथा अवगत हो कि रिटेल आउटलेट को पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टिकोण से निम्नलिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों के समुचित अनुपालन के साथ शर्त अनापत्ति स्वीकृत की जाती है।

1. अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित विशिष्ट विवरणों के लिए ही निर्गत किया जा रहा है:-
(क) स्थल:- गाटा संख्या-821मि०, ग्राम ईटगाँव, तहसील बीसलपुर, जिला-पीलीभीत।
(ख) उत्पादन:- डीजल एवं पेट्रोल का भण्डारण कर विक्री का कार्य
(डीजल-20 कि०ली० का एक टैंक एवं पेट्रोल-20 कि०ली० का एक टैंक)

- (ग) मुख्य कच्चे माल:- डीजल एवं पेट्रोल का भण्डारण।
(घ) औद्योगिक उत्प्रवाह की मात्रा:- शून्य
(ङ) प्रयुक्त ईंधन:- 25 के०वी०ए० क्षमता के डी०जी० सेट हेतु डीजल आवश्यकतानुसार
(च) वैधता अवधि:- जारी होने की तिथि से एक वर्ष तक मान्य (केवल स्थापनार्थ)

उपरोक्त विषय वस्तु में किसी भी प्रकार के परिवर्तन करने पर पुनः अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

2. रिटेल आउटलेट में सभी आवश्यक यंत्र, संयंत्र, हरित पेंटिका, शुद्धिकरण संयंत्र तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की स्थापना की जाये तथा स्थापना में की गयी प्रगति रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रत्येक माह की दसवीं तारीख तक निरन्तर प्रेषित करें।

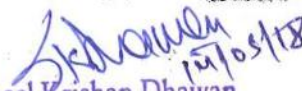
3. रिटेल आउटलेट का संचालन तब तक प्रारम्भ नहीं किया जाये जब तक कि बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियमों के अन्तर्गत सहमति प्राप्त न कर लें। जल एवं वायु सहमति प्राप्त करने हेतु रिटेल आउटलेट द्वारा संचालन करने की तिथि से कम से कम 2 माह पूर्व निर्धारित सहमति आवेदन पत्रों पर प्रथम आवेदन का उल्लेख करते हुये इस कार्यालय में अवश्य जमा कर दिया जाये यदि रिटेल आउटलेट उपरोक्त का अनुपालन नहीं करता है तो उक्त अधिनियमों के वैधानिक प्राविधानों के अन्तर्गत रिटेल आउटलेट के विरुद्ध बिना किसी पूर्व सूचना के विधिक कार्यवाही की जा सकती है।

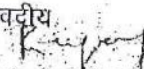
शील कृष्ण धवन/Sheet Krishan Dhawan
वरिष्ठ प्रबंध (रिटेल सेल्स)/Sr. Manager (Retail Sales)
इंडियन ऑयल कारपोरेशन लि. (एम.डी.)
Indian Oil Corporation Limited (M.D.)
35-ए, कमला नेहरू मार्ग/35-A, Kamla Nehru Marg
बरेली-243001 (उ.प्र.)/Bareilly-243001 (U.P.)

(2)

4. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट में डीजल एवं पेट्रोल का भण्डारण कर बिक्री का कार्य ही किया जाये। अन्यथा की स्थिति में यह अनापत्ति प्रमाण पत्र मान्य नहीं है।
5. घरेलू उत्प्रेषण को सैप्टिक टैंक एवं सोकपिट के माध्यम से बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप शुद्धिकृत कर निस्तारित किया जाये।
6. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के चारों तरफ अधिकतम क्षेत्र में सघन हरित पट्टिका विकसित की जाये। प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत भू-भाग पर हरित पट्टिका विकसित की जाये।
7. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के परिसर में रेन वाटर हार्वस्टिंग सिस्टम की स्थापना की जाये।
8. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट द्वारा किसी भी प्रकार के प्रदूषित उत्प्रेषण का निस्तारण रिटेल आउटलेट परिसर के अन्दर/बाहर नहीं किया जाये।
9. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
10. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट द्वारा 25 केवी0ए0 क्षमता के डी0जी0 सेट पर ध्वनि रोधक व्यवस्था (कैनोपी युक्त) के साथ एक्जॉस्ट पाइप की ऊँचाई छत के तल से 2.0 मीटर रखी जाये।
11. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट में विकास कार्य इस प्रकार किया जाये कि जल/वायु/मृदा प्रदूषण की सम्भावना नगण्य रहे।
12. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के विरुद्ध किसी भी प्रकार की जन शिकायत प्राप्त होने एवं शिकायत की पुष्टि होने पर निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त किया जा सकता है।
13. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट द्वारा अग्निशमन विभाग एवं विस्फोटक विभाग आदि से वांछित अनापत्ति प्रमाण पत्र/लाइसेन्स प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाये।
14. रिटेल आउटलेट का निर्माण कार्य पेट्रोलियम एक्ट एवं रूल्स के अनुसार ही किया जाये।
15. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट पर आवांछित घटना जैसे पेट्रोल एवं डीजल का रिसाव, अग्नि आदि हेतु कारखाना विभाग से डिजास्टर मेनेजमेन्ट प्लान तैयार कराकर 2 माह के अन्दर इस कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त लिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों का प्रभावी एवं संतोषजनक अनुपालन न करने पर बोर्ड द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। बोर्ड का अधिकार सुरक्षित है कि अनापत्ति की शर्तों में संशोधन किया जाये अथवा निरस्त कर दिया जाये।


शील कृष्ण धवन / Sheel Krishan Dhawan
वरिष्ठ प्रबंध (रिटेल सेल्स) / Sr. Manager (Retail Sales)
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि. (एम.डी.)
Indian Oil Corporation Limited (M.D.)
35-ए, कमला नेहरू मार्ग/35-A, Kamla Nehru Marg
बरेली-243001 (उ.प्र.) / Bareilly-243001 (U.P.)

भवदीय

(आर०के० त्यागी)
क्षेत्रीय अधिकारी